# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग-एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-04

**रायपुर, गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013**

**(फाल्गुन-2, शक संवत 1934)**

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

### 1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पुछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी मर्यादित,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वितरण होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, तथा

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित

के वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1.1.2009 से 31.3.2010 **पटल पर रखा।**

## 4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, ताम्रध्वज साहू, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में हसदेव बांगों मिनीमाता परियोजना के अंतर्गत नहर सुधार कार्य नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने कोटनी सोनार में रेस्ट हाऊस भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती की जाने,

(3) श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने विकासखंड खडगवां के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने, तथा

(4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने अकलतरा तहसील अंतर्गत लाफार्ज सीमेंट द्वारा कृषि भूमि पर औद्योगिक कार्य किये जाने,

**संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।**

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

| *अशासकीय संकल्प क्रं.* | *सदस्य का नाम* | *समय* |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक - 05) | श्री देवजी पटेल | 2 घंटा |
| 2. (क्रमांक - 02) | डॉ.हरिदास भारद्वाज | 30 मिनट |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

## 7.माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

**(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)**

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, बोधराम कंवर, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, ताम्रध्वज साहू, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, देवेन्द्र बहादुर सिंह, भजनसिंह निरंकारी, ह्दयराम राठिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह ,

## 8. पृच्छा
## अधिकारी दीर्घा में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति न होना

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारी दीर्घा में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति न होने तथा प्रशासन द्वारा सदन को गंभीरता से न लेने पर आसंदी से व्यवस्था की मांग की।

## 9. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कम उपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया एवं आसंदी से व्यवस्था दिए जाने का अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

## 10. व्यवस्था

मैं यह अपेक्षा करूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन, बजट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अतः सभी सदस्य, मंत्रीगण कृपया उपस्थित रहें।

**(1.31 से 3.00 बजे तक अंतराल)**

## 11.माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

**(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)**

श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री गुरूमुख सिंह होरा, सेवकराम नेताम, अग्नि चंद्राकर, फूलचंद सिंह, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री भजन सिंह निरंकारी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की। )

**सायं 5.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 22 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 3 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**देवेन्द्र वर्मा**

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा